<u>न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर</u>

<u>अपील/डिक्री/टी ए/2672/2004/करौली</u>

1. केदार 2. राधे 3. रामखिलाडी पुत्रान श्री गोकलराम जाति ब्राहमण निवासी सालिमपुर तहसील टोडाभीम जिला करौली

अपीलार्थी

बनाम

1. ठाकुर जी मन्दिर श्री गोविन्द जी महाराज सालिमपुर तहसील टोडाभीम जिला करौली जरिये पुजारी मन्दिर गोविन्द जी महाराज सालिमपुर
2. राजस्थान सरकार

रेस्पोडेन्ट्स

<u>खण्ड पीठ</u>

श्री मुकेश कुमार शर्मा अध्यक्ष
श्री नत्थूराम सदस्य

<u>उपस्थित</u>
श्री योगेन्द्र सिंह अभिभाषक अपीलार्थी
श्रीमती पूनम माथुर राजकीय अभिभाषक प्रत्यर्थी

<u>निर्णय</u>

<u>दिनांकः 23–5–2019</u>

1. यह अपील राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 31–5–2004 के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955(संक्षेप में अधिनियम) की धारा 224 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थीगण वादीगण ने प्रत्यर्थी प्रतिवादी के विरूद्ध एक वाद बाबत इस्तकरार हक घोषणा खातेदारी का वादपत्र में अंकित आराजी के बाबत उप जिला कलेक्टर टोडाभीम के न्यायालय में पेश किया। विचारण न्यायालय ने वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया। प्रतिवादी संख्या

1 ठाकुर जी मन्दिर श्री गोविन्द जी की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने पर पैरोकार सरकार एवं अपीलार्थीगण के अभिभाषक को सुनकर अपने निर्णय दिनांक 11–3–2003 के द्वारा वादीगण का वाद खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण ने राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 31–5–2004 से अपील खारिज कर दी। इससे व्यथित होकर यह द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई। प्रत्यर्थी संख्या 1 की ओर से बाबजूद सूचना कोई उपस्थित नहीं।

4. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि विचारण न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थी संख्या 1 अनुपस्थित रहे हैं। राज्य सरकार ने जबाब दावा प्रस्तुत कर वाद के कथनों को अस्वीकार किया है। प्रत्यर्थी द्वारा नकारात्मक जबाब दावा प्रस्तुत हो जाने के बाद उपखण्ड अधिकारी के लिये यह आवश्यक था कि आवश्यक तनकीयात कायम कर तनकीवार अपना निर्णय देते। वाद को निर्णित करने की आवश्यक प्रक्रिया नहीं अपनाते हुये एवं आदेश 14 नियम 1 जाब्ता दीवानी की पालना नहीं करने के अभाव में उनका निर्णय दूषित एवं क्षेत्राधिकार रहित है। वादग्रस्त आराजी प्रत्यर्थी संख्या 1 की खुदकाश्त की कभी नहीं रही है। जागीर एक्ट 1952 रिज्यूम हो जाने के बाद अपीलार्थी जो कि पूर्व में ही खातेदार था,स्वतः ही विवादित आराजी के खातेदार हो गये हैं। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने न तो जागीर एक्ट 1952 के प्रावधानों पर गौर किया न ही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों पर गौर किया। निर्णय दिनांक 27–10–85 जो कि रेफरेन्स में पारित किया गया था वह एकपक्षीय था जिसके विरूद्ध अपीलार्थी ने माननीय

राजस्थान उच्च न्यायालय में रिट याचिका प्रस्तुत कर रखी है। इसलिये दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आक्षेपित निर्णयों को निरस्त किया जाकर अपीलार्थी का वाद डिक्री किया जावे।

5. प्रत्यर्थी राज्य सरकार के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि मूर्ति मन्दिर की आराजी अन्य व्यक्तियों के नाम दर्ज हो जाने के कारण मण्डल के समक्ष रेफरेन्स प्रस्तुत किया गया था और राजस्व मण्डल द्वारा निर्णय दिनांक 27–5–85 से रेफरेन्स स्वीकार कर राजस्व अभिलेख में अपीलार्थी का नाम हटाकर मूर्ति मन्दिर के नाम दर्ज करने के आदेश दिये गये हैं। वादग्रस्त आराजी मन्दिर श्री गोविन्द देव जी के नाम दर्ज रेकार्ड है। उनका तर्क है कि मूर्ति मन्दिर शाश्वत नाबालिग है और मूर्ति मन्दिर की भूमि पर किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते हैं। इसलिये अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज योग्य है।

6. हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोंकन किया।

7. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी की मुख्व दलील यह है कि वादग्रस्त आराजी पर अपीलार्थी का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पहले तथा जागीर रिज्यूम होने से पहले से लगातार कब्जा है। इसलिये उन्हें खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। उनका यह भी तर्क रहा है कि जागीर एक्ट 1952 रिज्यूम हो जाने के बाद अपीलार्थी जो कि पूर्व में ही खातेदार था,स्वतः ही विवादित आराजी के खातेदार हो गये हैं। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने न तो जागीर एक्ट 1952 के प्रावधानों पर गौर किया न ही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों पर गौर किया। हम विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी की उक्त दलीलों से सहमत नहीं हैं। विचारण न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध नकल जमाबन्दी सम्बत 2016–19 में वादग्रस्त आराजी माफी मन्दिर श्री गोविन्द देव जी

बअतमाम पुजारी कुन्जी पुत्र कन्हैया कौम ब्राहमण तथा काश्तकार के कालम संख्या 4 में खुदकाश्त माफीदार अंकित है। अर्थात वादग्रस्त आराजी प्रारम्भ से ही मूर्ति मन्दिर की खुदकाश्त की भूमि रही है। विधि का यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि मूर्ति मन्दिर सतत अवयस्क है उसके खातेदारी की भूमि पर धारा 46 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते है। पुजारी अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की गई काश्त को मन्दिर की ओर से की गई काश्त माना जाता है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की बृहद पीठ ने 2015(4) आर एल डब्लू 2721(राज) तारा व अन्य बनाम स्टेट आफ राजस्थान व अन्य में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि यदि जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 के समय जमाबन्दी में कृषक के कालम में किसी काश्तकार का नाम दर्ज हो तो जमाबन्दी में अभिलिखित कृषक को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो सकते हैं और यदि कृषक के कालम में खुदकाश्त दर्ज हो तो आराजी पर किसी को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होगे। आराजी मूर्ति मन्दिर की मानी जावेगी और उस पर पुजारी अथवा काश्त करने वाले व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होगे। इसके अतिरिक्त यह भी अभिनिर्धारित किया है कि मूर्ति मन्दिर की भूमि पर एडवर्स पजेशन के आधार पर भी खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होगें। इस प्रकरण में जैसा कि उपर विवेचन किया जा चुका है, नकल जमाबन्दी सम्बत 2016–19 में वादग्रस्त आराजी जमाबन्दी के कालम नं3 में भूमि धारक के नाम में माफी मन्दिर श्री गोविन्द देव जी बअतमाम पुजारी कुन्जी पुत्र कन्हैया कौम ब्राहमण साकिन देह तथा काश्तकार के कालम संख्या 4 में खुदकाश्त माफीदार अंकित है जिससे यह स्पष्ट होता है कि विवादित आराजी की खातेदारी सम्बत 2016–19 में माफी मन्दिर श्री गोविन्द देव जी महाराज के नाम दर्ज

रेकार्ड थी और कुन्जी पुत्र कन्हैया ब्राहमण बअहतमाम पुजारी भूमि को काश्त करता था अर्थात वादग्रस्त आराजी प्रारम्भ से ही मूर्ति मन्दिर की खुदकाश्त की भूमि रही है। ऐसी भूमि पर किसी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। इस धारणा की पुष्टि ए आई आर 2007(एन ओर सी) 1742,(राज.), आर आर डी 1994 पेज 1 से भी होती है।

8. उपरोक्त विवेचन,विश्लेषण एवं विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुये अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नत्थूराम)
सदस्य

(मुकेश कुमार शर्मा)
अध्यक्ष